राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

| अ क्र | योजना | योजनेचा तपशिल | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|---------|---------------|--|
| १ | योजनेचे नाव | राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती | | | | |
| २ | योजनेबद्दलचा शासन निर्णय | शासन निर्णय दिनांक 16.11.1964, दिनांक 05.02.2004 | | | | |
| \$ | योजनेचे स्वरूप | राज्यातील गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षण घेण्यास उत्तेजन मिळाव म्हणून सदर शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर योजनेसाठी एकुण 1208 संच शाखानिहाय खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेले आहेत. | | | | |
| | | | अ.क्र. | शाखा | निर्धारित संच | |
| | | | 01 | कला | 285 | |
| | | | 02 | वाणिज्य | 230 | |
| | | | 03 | विज्ञान | 638 | |
| | | | 04 | विधी | 55 | |
| | | | | एकूण | 1208 | |
| 8 | योजनेचा उद्देश | राज्यातील गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षण घेण्यास उत्तेजन देणे. | | | | |
| ц | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव | सर्व प्रवर्गासाठी | | | | |
| ľ | योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. इयत्ता बारावी मध्ये किमान 60 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि विधी शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज (Fresh) करण्यास पात्र आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर शिकत असलेले महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. या सवलती समाधानकारक प्रगती, चांगली वर्तणूक व नियमित उपस्थिती असल्यास विहित अभ्यासक्रम संपेपर्यत चालू राहतील. मागील वर्षी सदर शिष्यवृत्ती चा लाभ घेतलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्ती च्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करू शकतात. | | | | |
| y | आवश्यक कागदपत्रे | सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र मागील वर्षाची गुणपित्रका बोनाफाईड सिर्टिफिकेट | | | | |
| ۷ | दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप | सदर योजनेसाठी प्रतिमाह 100 रु. याप्रमाणे दहा महिन्याकरिता रक्कम रु. 1000/- शिष्यवृत्ती देण्यात येते. | | | | |
| 9 | अर्ज करण्याची पध्दत | नवीन मंजूरीसाठी तसेच नुतनीकरणासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. | | | | |
| १० | ऑनलाईन अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ | | adbtmahait. _{ | | | |